कार्यालय – जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना, जिला मुरैना (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय भवन, मुरैना के परिसर में **MP ONLINE KIOSK** के संचालन हेतु आगामी 01 वर्ष के लिये निविदायें आमंत्रित हैं। कियोस्क के संचालन हेतु इच्छुक आवेदकगण स्वयं के व्यय पर अपना गुमठी/टपरा (अस्थाई) जिला एवं सत्र न्यायालय के परिसर में निर्धारित स्थान पर स्थापित कर **MP ONLINE KIOSK** का संचालन कर सकेंगे। इस संबंध में इच्छुक आवेदकगण संस्थाएं, व्यक्तियों एवं क़ंपनियों से निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्तों संबंधी निविदा प्रलेख माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की वेबसाइट **www.mphc.gov.in** एवं **https://mptenders.gov.in** व जिला एवं सत्र न्यायालय, मुरैना की वेबसाइट **https://morena.dcourts.gov.in** पर उपलब्ध है। इच्छुक संस्थायें/व्यक्तियों/कंपनियां अपना आवेदन निविदा शर्तों के संबंध में सहमति दर्शाते हुए दिनांक **30.08.2025** को **सायं 05:00 बजे** तक नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय मुरैना में जमा कर सकते हैं। निविदा दिनांक **01.09.2025** को सायंकाल **05:00 बजे** अधिकृत कमेटी के समक्ष खोली जावेगीं। जिसमें निविदाकर्ता भी उपस्थित रह सकते हैं। आवेदक शुल्क राशि रूपये 250/– का चालान संबंधित शासकीय मद में जमा कर मूल रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं आवेदन पत्र की राशि किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं होगी। आवेदन शुल्क जमा करने पर नजारत अनुभाग, मुरैना से निविदा प्रलेख/आवेदन दिनांक 28.08.2025 तक कार्यालयीन समय में प्राप्त किए जा सकेंगे।

Sangeeta 30/07/25

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मुरैना (म.प्र.)

कार्यालय –प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण सूचना

जिला न्यायालय मुरैना के परिसर में **MP ONLINE KIOSK** के कार्य संचालन हेतु, अनुबंध के निष्पादन दिनांक से आगामी 01 वर्ष की अवधि हेतु, निविदाएं निम्न शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है।

01– जिला न्यायालय परिसर में **MP ONLINE KIOSK** के संचालन हेतु **रूपये 10,000/– (दस हजार रूपये)** की **एफ.डी.आर** प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना के नाम से सुरक्षा निधि के रूप में अनुबंध निष्पादन दिनांक से 01 वर्ष की अवधि के लिये अनुबंध होने की दशा में 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

02– मासिक किराये की न्यूनतम दर **रूपये 749/–(सात सौ उनचास रूपये)** होगी। परिसर में एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क संचालित किए जाने के दौरान अनुबंधकर्ता से किसी भी प्रकार की टूट–फूट या शिकायत मिलने पर, वसूली सुरक्षा निधि से जप्त की जावेगी।

03– व्यवसायिक प्रतिष्ठान कार्य हेतु 01 वर्ष की अवधि हेतु अनुज्ञप्ति पर दिया जावेगा, तथा प्राप्त निविदाओं में से उच्चतर निविदा को मान्य किया जावेगा।

04– विकलांग/विधवा/परित्यक्ता व सशस्त्र बल के सेवानिवृत्त सदस्यों तथा अनुभव प्राप्त बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जावेगी।

05– प्रतिष्ठान का पंजीयन दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत श्रम विभाग से कराया जाना आवश्यक होगा।

06– व्यवसायिक प्रतिष्ठान के संचालक यदि कोई कर्मचारी नियुक्त करते है, तो उन्हें श्रम विधियों के समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा एवं संबंधित व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी कार्यालय अनुभाग मुरैना में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

07– व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे कि शासकीय सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो।

08– व्यवसायिक प्रतिष्ठान का व्यवसाय न्यायालयीन कार्य दिवस एवं आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा। प्रधान जिला एव सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार अन्य दिवसों में भी कार्य संचालित किये जाने हेतु पूर्व में अनुमति/सूचना देना अनिवार्य होगा।

09– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना का एकमात्र विवेकाधिकार आवंटन के संबंध में अंतिम माना जावेगा।

10– व्यवसायिक प्रतिष्ठान आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण/संरचना तथा क्षति कारित नहीं करेंगे।

11– व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ऐसा अस्थाई निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति दर्शित कर अनुमोदित कराने के उपरांत ही कर सकेंगे।

12– व्यवसायिक प्रतिष्ठान हेतु आवंटित स्थान को साफ–सुथरा तथा प्रदूषण से मुक्त रखेंगे तथा किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र या आडियो सिस्टम का उपयोग नहीं करेंगे।

13– आवंटित व्यवसायिक प्रतिष्ठान को किसी अन्य को आवंटित अथवा हस्तांतरित नहीं कर सकेंगे।

14– व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालक को स्वयं के व्यय पर विद्युत मीटर प्राप्त करना होगा।

15– **MP ONLINE KIOSK** में प्रदान की जा रही सुविधाओं की जवाबदेही केवल संचालक की होगी। इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप व संगोष्ठि जिला एवं सत्र न्यायालय मुरैना की नहीं होगी।

16– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को यह अधिकार होगा कि व्यवसायिक प्रतिष्ठान हेतु प्रदत्त अनुज्ञप्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए 01 माह का नोटिस देकर निरस्त किया जा सकेगा और इस दशा में अनुबंधकर्ता को 01 माह की अवधि में व्यवसायिक प्रतिष्ठान हटाना होगा, अन्यथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, को यह अधिकार होगा कि ऐसे स्थान को रिक्त करवा सके।

17– प्रत्येक माह में **MP ONLINE** के कार्य संबंधी मासिक विवरण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के समक्ष जानकारी हेतु रखा जावेगा।

18– व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालक का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर उक्त अवधि की बढ़ोत्तरी किये जाने के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना द्वारा विचार किया जा सकेगा।

19– अनुबंध पत्र निष्पादन संबंधित समस्त व्यय राशि का वहन संबंधित संस्था/फर्म द्वारा किया जावेगा।

20– **MP ONLINE KIOSK** के गुमटी/टपरा (अस्थाई) का निर्माण सफल अनुबंधकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर चयनित स्थान में 07 दिवस के भीतर स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।

21– जिला न्यायालय परिसर में गुमटी/टपरा (अस्थाई) के अधिकतम क्षेत्र का आकार केवल 07 बाई 08 फिट तक ही संभव रहेगा ।

22– सफल आवेदनकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि 07 दिवस के भीतर **MP ONLINE KIOSK** के वॉलेट में कम से कम राशि **5,000/– रूपये (पांच हजार रूपये)** रखे होने का प्रमाण पत्र देना होगा।

23– अनुबंधकर्ता को कम्प्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट सुविधा, बॉयोमैट्रिक डिवाइस, फोटो कॉपी मशीन इत्यादि की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करनी होगी। इसके अतिरिक्त

अनुबंधकर्ता को पी.ओ.एस. मशीन एवं क्योआर कोड रखना अनिवार्य होगा। उक्त समस्त उपकरणों के रख–रखाव एवं सुरक्षा का दायित्व अनुबंधकर्ता का ही होगा।

24– अनुबंधकर्ता/कियोस्क संचालक को माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जलपुर के द्वारा तय की गई निर्धारित दर/पोर्टल फीस अनुसार सेवाएं प्रदान करनी होगी। अनुबंधकर्ता को दरों की सूची एवं प्रदान की जाने वाली सेवाएं बैनर/फ्लेक्स के माध्यम से निर्धारित कमरे के बाहर चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा।

25– आवेदन के समय अनुबंधकर्ता को इस बात का शपथ पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध या उनके द्वारा नियुक्त कि एजाने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है। अनुबंधकर्ता का पुलिस बैरिफिकेशन अनिवार्य रहेगा।

26– उपरोक्त दर्शायी हुई शर्तों के अतिरिक्त अन्य सभी निर्णय लेने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना का होगा।

30/07/25

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
मुरैना (म.प्र.)